UPSI180025502022

न्ययलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पेठसीन अधिकारी- (Amit Singh), (उ०प्र० न्ययिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/173/2022

<u>Ramawati Vs. Rammurat and Others</u>

<u>30.05.2022</u>

वादी द्वारा **श्री मनोहरलाल सिंह यादव एडवोकेट** के माध्यम से वाद–पत्र बाबत **स्थाई निषेधाज्ञा**, प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

<u>आदेश</u>

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिला जवाबदावा एवं वास्ते विरचन वादबिन्दु दिनांक 21.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

<u>प्रार्थनापत्र 6ग2–</u>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 6ग2 अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 पर एकपक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि प्रार्थना–पत्र 6ग2 समर्थित शपथ–पत्र 7ग2 में वादी/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि गाटा सं0 540 रक्बा 0.936 हे0 एवं गाटा सं0 588 रक्बा 0.374 हे0 स्थित ग्राम बिलौली नानकारी परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की वादिनी एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 9 मालिक, व संक्रमणीय भूमिधर है। वादिनी एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 9 बाहमी बंटवारे के आधार पर उसपर कृषि कार्य करते हैं। वर्तमान समय में विवादित भूमि में वादिनी के पिपरमेंट की फसल लगी है। वादीय भूमि वादिनी को उसकी सगी सास बरफी देवी से जरिए दान–पत्र दिनांक 07.12.2021 एवं दिनांक 13..12.2021 को प्राप्त हुई थी। तब से वादिनी वादीय भूमि पर काबिज व दखील है तथा वादीय भूमि के 1/2 भाग पर वादिनी के पिपरमेंट की फसल लगी है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादिनी की फसल को जबरन काटकर वादीय भूमि पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाय। वादिनी की ओर से सूची 8ग से 9ग नकल दान–पत्र, 10ग खतौनी, 11ग खसरा, 12ग नकल दान–पत्र दाखिल किया गया है।

वादिनी द्वारा वादीय भूमि पर अपने अध्यासन के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। 11ग खसरे में अभी दानकर्ती श्रीमती बरफी देवी एवं अन्य व्यक्ति रामचन्दर चौहान का नाम दर्ज है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादी/विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना–पत्र 6ग2 पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

<u>आदेश</u>

विपक्षी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। विपक्षीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाय। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग2 दिनांक 12.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

<u>अजय/स्टेनो</u>

Digitally signed by AMIT SINGH
Date: 2022.05.30 18:35:10 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M.
Mahmudabad, Sitapur.